

# मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 4127 / 22 / वि-12 / ग्रासप्रा / IT-1 / 19

भोपाल दिनांक 01 / 04 / 2019


प्रति

महाप्रबंधक (समस्त),  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,  
.....(म.प्र.)

विषय :-ई-मार्ग एवं जियो-रीच पर रजिस्टर किए जाने वाले Class-III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ई-मार्ग एवं जियो-रीच पर रजिस्टर किए जाने वाले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) पूर्व में Class-II के होते थे। वर्तमान में ई-मार्ग एवं जियो-रीच पर Class-III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा रजिस्टर किए जाते हैं। NIC द्वारा यह अवगत कराया गया है कि Class-III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) में ई-मेल ID समाहित न होने से उनका रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है, अपितु तकनीकी रूप से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) में ई-मेल ID का समाहित होना अनिवार्य है।

अतः भविष्य में आपके द्वारा यदि नवीन Class-III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) बनाया जाता है तो संबंधित वेंडर से प्राप्त किए जा रहे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) में ई-मेल ID का समाहित होना सुनिश्चित करें।



(पंकज झंवर)

मुख्य महाप्रबंधक(निविदा एवं ई-गवर्नेंस)  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,  
भोपाल

पृ.क्र. 4128 / 22 / वि-12 / ग्रासप्रा / IT-1 / 19

भोपाल दिनांक 01 / 04 / 2019

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, (म.प्र.)
3. श्री विवेक चितले, अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन, भोपाल(म.प्र.)

- की ओर सूचनार्थ ।



मुख्य महाप्रबंधक (निविदा एवं ई-गवर्नेंस)  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,  
भोपाल